

**मा० निदेशक मण्डल उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की सप्तम् बैठक**  
**दिनांक 24.04.2025 की कार्यवृत्त :-**

पत्रांक 176 / प्र-1/007-नि०म०ब०-004/2025

दिनांक 22/05/2025

मा० निदेशक मण्डल के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् है:-

1. श्री अनुराग श्रीवारतव, अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. डॉ० राज शेखर, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
3. डॉ० राजेश कुमार प्रजापति, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
4. श्री बृजराज सिंह यादव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
5. श्री राजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
6. श्री शहजाद अहमद अंसारी, वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
7. श्री राम भवन राम, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
8. डॉ० शांतनु व्यास, शोध अधिकारी, एस०टी०पी० (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
9. श्री प्रमोद कुमार यादव, डी.पी.आर.ओ.(निदेशालय) (अधिकृत प्रतिनिधि), निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र०, लखनऊ ।
10. डॉ० एस० विश्वास, स०निदेशक(अधिकृत प्रतिनिधि) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ ।
11. श्रीमती विजेता, उप निदेशक, रथानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उक्त के अतिरिक्त उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अन्तर्गत निम्नवत् अधिकारी उपस्थित हुये:-

1. श्री प्रभाष कुमार, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. श्री सन्दीप कुमार, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा मा० निदेशक मण्डल के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। मा० निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं मा० अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
07.01	मा० निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की षष्ठम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा षष्ठम् बैठक दिनांक 29.10.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवृत्त बुक (रजिस्टर) में चर्चा कर मा० अध्यक्ष महोदय से अवलोकित करा लिया गया।
07.02	मा० निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की षष्ठम् बैठक के अनुपालन की स्थिति।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा षष्ठम् बैठक दिनांक 29.10.2024 को लिये गये निर्णयों के अनुपालन को संज्ञान में लिया गया। षष्ठम् बैठक के मद सं० 06.23 अन्तर्गत अनुबन्ध की लागत के सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक के वैरियेशन की महत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत (Case to Case) स्थीकृति करने एवं अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा 01 माह का समय प्रदान किया गया है।

105-05-2025  




महं सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
07.03	अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी एजेण्डा।	<p>वर्तमान में उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अन्तर्गत समूह 'ग' संवर्ग में मृतक कार्मिकों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त 22 आवेदनों एवं समूह 'घ' संवर्ग में मृतक कार्मिकों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त 103 आवेदनों के क्रम में मृतक आश्रित के कुटुंब के किसी सदस्य को सेवायोजित करते समय यह देखा जाना उचित होगा कि उसके परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी भी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर उसका सत्यापन सम्बिधित जिलाधिकारी से कराने के उपरान्त 125 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त मा० निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया है कि मृतक कार्मिकों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अप्राप्त आवेदनों को प्राप्त कर उक्तानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया।</p>
07.04	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वेन्डर्स के चयन हेतु प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1085/011- संचा०/अनु०/24 दिनांक 04.09.2024 द्वारा आमंत्रित ई-निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वेन्डर्स के चयन हेतु प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1085/011- संचा०/अनु०/24 दिनांक 04.09.2024 द्वारा आमंत्रित ई-निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.05	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों के लिए टी०पी०आई० के चयन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किये जाने हेतु एजेण्डा।	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों के लिए टी०पी०आई० के चयन हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को अधिकृत किया गया।
07.06	जनपद वाराणसी में मण्डल स्तर पर एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण कराये जाने हेतु प्रधान कार्यालय के पत्रांक 114/प्र-१/००२ /२०२५ दिनांक 21.03.2025 शासन को प्रेषित विभागीय सहमति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	जनपद वाराणसी में मण्डल स्तर पर एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण कराये जाने हेतु प्रधान कार्यालय के पत्रांक 114/प्र-१/००२ /२०२५ दिनांक 21.03.2025 शासन को प्रेषित विभागीय सहमति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

50052025  
१००५२०२५

५  
१

मर्ग सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
	2	3
07.07	<p>उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अन्तर्गत नई–नई तकनीक एवं नवाचार को समिलित किये जाने हेतु Technology and Innovation Cell की स्थापना हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत गठित आई०टी० सेल को समाप्त करते हुये Technology and Innovation Cell की स्थापना की जाय।</li> <li>गठित Technology and Innovation Cell में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाय।</li> <li>उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत नई–नई तकनीक एवं नवाचार को समिलित करने हेतु प्रोद्यौगिकी एवं प्रबन्धन संस्थाओं यथा आई०आई०टी० / आई०आई०एम० के साथ सहभागिता हेतु मा० अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक को संस्था नामित करते हेतु अधिकृत किया जाय।</li> </ol> <p>Technology and Innovation Cell की स्थापना हेतु उक्तानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल से प्राप्त करने हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अन्तर्गत नई–नई तकनीक एवं नवाचार को समिलित किये जाने हेतु Technology and Innovation Cell की स्थापना हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत गठित आई०टी० सेल को समाप्त करते हुये Technology and Innovation Cell की स्थापना की जाय।</li> <li>गठित Technology and Innovation Cell में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है।</li> <li>उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत नई–नई तकनीक एवं नवाचार को समिलित करने हेतु प्रोद्यौगिकी एवं प्रबन्धन संस्थाओं यथा आई०आई०टी० / आई०आई०एम० के साथ सहभागिता हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है।</li> </ol>
07.08	<p>महाकुम्भ 2025 के अन्तर्गत अरैल रोड, नैनी पर विभाग को आंवटित भूमि पर कैम्प कार्यालय के निर्माण संबंधी एजेण्डा नोट।</p>	<p>महाकुम्भ 2025 के अन्तर्गत अरैल रोड, नैनी पर विभाग को आंवटित भूमि पर कैम्प कार्यालय के निर्माण संबंधी निम्नानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मेला परिसर में शिविर कार्यालय स्थापना तथा बी०वी०आई०पी० आगन्तुकों की व्यवस्था (Protocol) एवं कैम्प कार्यालय के रख रखाव (Administrative) में होने वाले व्यय के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वहन किये जाने वाले रु० 42.6483 लाख (बयालिस लाख चौसठ हजार आठ सौ तीस मात्र) धनराशि की कार्यात्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।</li> <li>मेला परिसर में एसटीपी की सघन अनुरक्षण के लिये शिविर कार्यालय को पूर्णरूप से संचालित एवं क्रियाशील करने हेतु अतिरिक्त कार्य कराया जाना आवश्यक हुआ, जिस हेतु परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज के पत्रांक 30A/प्राक्कलन /01A दिनांक 15.01.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के दृष्टिगत अतिरिक्त कार्यों पर होने वाले व्यय के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वहन किये जाने वाली धनराशि रु० 49.17 लाख (उन्चास लाख सत्तारह हजार मात्र) की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।</li> </ol>

10/05/2025  
S (K)

10/05/2025  
S (K)

मर्ग सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
		<p>3. मेला परिसर में शिविर कार्यालय स्थापना तथा वी०वी०आई०पी० आगन्तुकों की व्यवस्था (Protocol) एवं कैम्प कार्यालय के रख रखाव मद में होने वाले व्यय के सापेक्ष राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा धनराशि रु० 42.6483 लाख (बयालिस लाख चौसठ हजार आठ सौ तीस मात्र) को वहन किया जाना है, किन्तु राज्य स्वच्छ गंगा मिशन से उक्त धनराशि अद्यतन अप्राप्त है।</p> <p>अतः कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत सेन्टरेज की धनराशि से रु० 42.6483 लाख की धनराशि परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज को तत्काल आवंटित कर दी जाये तथा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन से उक्त धनराशि प्राप्त हो जाने पर उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समायोजित करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।</p>
07.09	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.07.2024 से मंहगाई भत्ता 246 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवारत कार्मिकों को दिनांक 01/01/2006 से अनुमन्य षष्ठ्म वेतनमान के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता लागू किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर वर्तमान में प्राप्त हो रहे 239 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के स्थान पर 246 प्रतिशत मंहगाई भत्ता माह अप्रैल-2025 के वेतन से दिये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.10	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.07.2024 से मंहगाई राहत 246 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01/01/2006 से अनुमन्य षष्ठ्म वेतनमान के अन्तर्गत मंहगाई राहत लागू किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर वर्तमान में प्राप्त हो रहे 239 प्रतिशत मंहगाई राहत के स्थान पर 246 प्रतिशत मंहगाई राहत माह अप्रैल-2025 के वेतन से दिये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.11	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत जन सुनवाई से सम्बन्धित पोर्टल, विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित पोर्टल एवं कोर्ट केस से सम्बन्धित पोर्टल के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु अनुमति प्रदान करने से सम्बन्धित एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत जन सुनवाई से सम्बन्धित पोर्टल, विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित पोर्टल एवं कोर्ट केस से सम्बन्धित पोर्टल के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

65 ०५.२०२५ B (9)


X T

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
	2	3
07.12	जी०पी०एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के कार्मिकों के जी०पी०एफ० मद के अंतिम/अग्रिम भुगतान हेतु राजस्व मद में धनावंटन आदेश सं- 45/1004/बजट-राजस्व मद से जी०पी०एफ० खाते में स्थानान्तरण/2025 दिनांक 20.01.2025 द्वारा जी०पी०एफ० मद में अन्तरित की गयी धनराशि रु. 25.00 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	जी०पी०एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के कार्मिकों के जी०पी०एफ० मद के अंतिम/अग्रिम भुगतान हेतु राजस्व मद में धनावंटन आदेश सं- 45/1004/बजट-राजस्व मद से जी०पी०एफ० खाते में स्थानान्तरण/2025 दिनांक 20.01.2025 द्वारा जी०पी०एफ० मद में अन्तरित की गयी धनराशि रु. 25.00 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.13	श्री आर०के० शर्मा, से०नि० मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) को संविदा के आधार पर दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 28.02.2026 तक मुख्य सलाहकार (तकनीकी) के पद पर की गयी नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	श्री आर०के० शर्मा, से०नि० मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) को दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 28.02.2026 तक मुख्य सलाहकार (तकनीकी) के पद पर संविदा आधार पर की गयी नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.14	डा० शफाली श्रीवास्तव, पर्यावरण विशेषज्ञ को 01 वर्ष हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में सर्वान्वयन नियुक्ति हेतु निर्गत नियुक्ति आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	डा० शफाली श्रीवास्तव, पर्यावरण विशेषज्ञ को 01 वर्ष हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधीन कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु निर्गत नियुक्ति आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.15	जनपद-वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017-18) अन्तर्गत व्ययवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री ए०के० सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद-वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017-18) अन्तर्गत व्ययवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री ए०के० सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
07.16	जनपद-वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017-18) अन्तर्गत व्ययवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री पी०एन० गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद-वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017-18) अन्तर्गत व्ययवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री पी०एन० गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।

मर्न सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
	2	3
07.17	जनपद—वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017–18) अन्तर्गत व्यवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री श्याम कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ0प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद—वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017–18) अन्तर्गत व्यवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री श्याम कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ0प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
07.18	जनपद—वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017–18) अन्तर्गत व्यवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री एस०एस० कौशिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ0प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद—वाराणसी में क्रियान्वित चितर्ईपुर पेयजल योजना, बसन्त पट्टी पेयजल योजना, बसनी पेयजल योजना एवं नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना 2017–18) अन्तर्गत व्यवर्तित कर नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में श्री एस०एस० कौशिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351 (ए) एवं उ0प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
07.19	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 904/007- 2018-02-0034 (मुरा०/आ०/वारा०क्षे०) दिनांक 13.06.2019 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.07.2019 के निस्तारण हेतु मा० निगम निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, अधिशासी अभियन्ता के अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.07.2019 के दृष्टिगत प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 904/007- 2018-02-0034 (मुरा०/आ०/वारा०क्षे०) दिनांक 13.06.2019 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.20	श्री मोहित चक, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 1106/009-2022-02 -0114(ल०क्षे०) दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से दण्डाधिरोपित करते हुये पदावनत एवं सेवा खण्डीत किये जाने के दण्ड पर पुर्णविचार हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 05.06.2024 के निस्तारण हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।	श्री मोहित चक, सहायक अभियन्ता के अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 05.06.2024 के दृष्टिगत प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 1106/009-2022-02 -0114(ल०क्षे०) दिनांक 02.11.2023 द्वारा निर्गत दण्डादेश को प्रतिकूल प्रविष्टि में परिवर्तित करने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.21	श्री श्रीराम गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 961/007-2015-01-0221 (वा०क्षे०) दिनांक 11.08.2020 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 06.11.2020 के निस्तारण हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।	प्रश्नगत प्रकरण में गठित जांच समिति की जांच आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए श्री श्रीराम गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 961/007-2015-01-0221(वा०क्षे०) दिनांक 11.08.2020 द्वारा निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

5/05/2025 3 9/1 5/1

मा० सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
07.22	श्री जे०के० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 963/007-2015-01-0221 (वारांक्षे०) दिनांक 11.08.2020 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 07.11.2020 के निस्तारण हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।	प्रश्नगत प्रकरण में गठित जांच समिति की जांच आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए श्री जे०के० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 963/007-2015-01-0221(वारांक्षे०) दिनांक 11.08.2020 द्वारा निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.23	श्री केदारनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 610/009-2019-02-0019(प्रयांक्षे०) दिनांक 28.10.2024 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 23.03.2025 के निस्तारण हेतु मा० निगम निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।	श्री केदारनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार द्वारा योजित अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन होने के कारण मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री केदारनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार की अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई गई। अतः श्री केदारनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार को प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 610/009-2019-02-0019(प्रयांक्षे०) दिनांक 28.10.2024 द्वारा निर्गत दण्डादेश को यथावत बनाये रखने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।
07.24	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत सहायक अभियन्ता (सिविल एवं विं/यां) की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल एवं विं/यां) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को छोड़ते हुए प्रशासनिक आवश्यकतानुसार सहायक अभियन्ता (सिविल एवं विं/यां) की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को अधिकृत किया गया।
07.25	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जूनियर इंजीनियर (सिविल एवं विं/यां) की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत जूनियर इंजीनियर (सिविल एवं विं/यां) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को छोड़ते हुए प्रशासनिक आवश्यकतानुसार जूनियर इंजीनियर (सिविल एवं विं/यां) की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया।
07.26	प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ अन्तर्गत प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला हेतु नये भवन के निर्माण कार्य तथा प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) का कार्यालय स्थापित करने के दृष्टिगत नवीनीकरण से सम्बन्धित कार्यों हेतु डी०पी०आर० की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने से सम्बन्धित एजेण्डा नोट।	प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ अन्तर्गत प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला हेतु नये भवन के निर्माण कार्य तथा प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) का कार्यालय स्थापित करने के दृष्टिगत नवीनीकरण से सम्बन्धित कार्यों हेतु डी०पी०आर० की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया।
07.27	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का Departmental Logo बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को अधिकृत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के Departmental Logo की स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को अधिकृत किया गया।

5/05/2025 १२:३० PM  


मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
07.28	<p>श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 165 / 009–2022–002–0005(मु०) / 22 दिनांक 25.02.2023 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 01.05.2023 के निस्तारण हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।</p>	<p>श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा योजित अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन होने के कारण मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता की अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई गई।</p> <p>अतः श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता को प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 165 / 009–2022–002–0005(मु०) / 22 दिनांक 25.02.2023 द्वारा निर्गत दण्डादेश को यथावत बनाये रखने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।</p>
अन्य बिन्दु मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-		
07.29	<p>उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को सप्तम वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।</p>	<p>उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को सप्तम वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के कार्य एवं सेन्ट्रेज के दृष्टिगत आर्थिक स्थिति/देयता का आंकलन करते हुये सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को सप्तम वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सन्दर्भ में प्रथमतः परीक्षण कर लें।</p>

(डॉ० राजेश कुमार प्रजापति)  
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)/  
सचिव (प्रशासन)

(शहजाद अहमद अंसारी)  
वित्त निदेशक

(बृजराज सिंह यादव)  
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)

(डॉ० राज शेखर)  
प्रबन्ध निदेशक

(अनुराग श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष